न्यायालय सिविल जज (जू.डि.)एफ.टी.सी.–प्रथम/न्यायिक मजिस्ट्रेट,चन्दौली।
उपस्थित–शिवानी (उ0 प्र0 न्यायिक सेवा)
जे.ओ.कोड–यू.पी.04673
परिवाद संख्या–6626/2025
UPCD040088412025

मनीषा उपाध्याय बनाम आशुतोष कुमार पाण्डेय आदि।

दिनांकः 30.06.2026

पत्रावली पेश हुई। पुकार करायी गयी, पुकार पर परिवादी अनुपस्थित, परिवादी की ओर से कोई हाजिरी माफी/स्थगन प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया। पत्रावली आज वास्ते बयान अन्तर्गत धारा 223 भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता हेतु नियत है।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत परिवाद दिनांक 26.06.2025 को दर्ज रजिस्टर किया गया तथा दर्ज रजिस्टर होने के उपरान्त वास्ते बयान अन्तर्गत धारा 223 बी.एन.एस.एस. में पत्रावली नियत थी, परन्तु दर्ज रजिस्टर होने के उपरान्त से परिवादी 223 बी.एन.एस.एस. के बयान हेतु न्यायालय के समक्ष उपस्थित नही आये। परिवादी विगत कई तिथियों से अनुपस्थित चले आ रहे है। परिवादी को उपस्थित होने हेतु व 223 बी.एन.एस.एस. के बयान अंकित कराने हेतु पर्याप्त अवसर तथा अन्तिम अवसर भी प्रदान किया जा चुका है, परन्तु उसके उपरान्त भी परिवादी उपस्थित नहीं आये, न ही परिवादी की ओर से कोई स्थगन प्रार्थना पत्र या हाजिरी माफी ही प्रस्तुत की गयी। परिवाद पत्र के अवलोकन से प्रथम दृष्टया विपक्षी को तलब किये जाने का आधार पर्याप्त नहीं है।

अतः परिवाद साक्ष्य के अभाव में अन्तर्गत धारा 226 भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता के अंतर्गत खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

परिवाद अन्तर्गत धारा 226 भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता में खारिज किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल–दफ्तर हो।

(शिवानी)
सिविल जज(जू0डि0)
एफ.टी.सी–प्रथम,
चन्दौली।

Digitally signed by Shivani
Date: 2026.07.06 10:23:26 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court